नये पैन कार्ड या/और पैन डेटा में परिवर्तन या संशोधन के लिए अनुरोध हेतु ऑन-लाइन आवेदन के लिए दिशानिर्देश

(क) आवेदक पैन परिवर्तन के लिए अनुरोध फॉर्म ऑन-लाइन भरेगा।

(ख) यदि प्रस्तुत डेटा किसी फॉर्मेट वैधीकरण स्तर पर प्रस्तुत नहीं हो पाते हैं तो गलती को इंगित करते हुए संदेश स्क्रीन पर दिखाई देगा।

(ग) आवेदक गलती को ठीक करेगा और फॉर्म पुन: प्रस्तुत करेगा।

(घ) यदि फॉर्मेट स्तर की कोई गलती नहीं है तो आवेदक द्वारा भरे गये डेटा का पुष्टिकरण स्क्रीन दिखाई देगा।

(ङ)यदि आवेदक इस डेटा में कोई संशोधन करना चाहता है तो वह एडिट विकल्प को चुन सकता है अन्यथा पुष्टि विकल्प चुनेगा।

(च) पैन डेटा में परिवर्तन या संशोधन के लिए फॉर्म में सभी अनिवार्य फील्ड (* तारांकित किये हुए) को भरें और जहां संशोधन करवाना है वहां पर बांये मार्जिन में उचित फील्ड के बॉक्स को चुनें।

(छ)यदि आवेदन आवेदक के पैन से संबद्ध डेटा में किसी परिवर्तन के बिना, पैन कार्ड पुन: जारी करने के लिए है तो फॉर्म के सभी फील्ड भरें लेकिन बांये मार्जिन के किसी भी बॉक्स को न चुनें।

(ज) पैन डेटा में परिवतन या संशोधन के अनुरोध अथवा पैन डेटा में किसी परिवर्तन के बिना, पैन कार्ड पुन: जारी करने के अनुरोध की स्थिति में आवेदन में दिये गये पत्र-व्यवहार के पते के आधार पर आईटीडी डेटाबेस में पत्र-व्यवहार के पते को संशोधित कर दिया जायेगा.

(झ) पैन निरस्त करने के लिए फॉर्म में सभी अनिवार्य फील्ड भरें, जिस पैन को निरस्त करना है वह फॉर्म की मद संख्या 11 में लिखें और बांयें मार्जिन पर बॉक्स को चुनें. जो पैन

निरस्त किया जाना है वह फॉर्म पर सबसे ऊपर लिखा पैन (वर्तमान में प्रयुक्त) नहीं होना चाहिए.

(ञ) पुष्टि करने पर उसकी प्राप्ति सूचना दिखाई देगी. उस प्राप्ति सूचना में 15 अंक का विशिष्ट प्राप्ति सूचना नंबर होगा।

(ट) आवेदक से अनुरोध है कि वे इस प्राप्ति सूचना को सेव कर लें।

(ठ) यदि पत्र-व्यवहार का पता भारत के भीतर का है तो पैन आवेदन को प्रोसेस करने की फीस निम्लिखित है:

i. यदि आवेदक पैन कार्ड का चयन करता है तो ₹101 (वस्तु एवं सेवा कर सहित) और;
ii. यदि आवेदक ई–पैन का चयन करता है तो ₹ 66 (वस्तु एवं सेवा कर सहित)। ई–पैन की प्राप्ति के लिए ई-मेल अनिवार्य है और इसमें पैन कार्ड नहीं जारी किया जाएगा।

(ड) यदि पत्र-व्यवहार का पता भारत के बाहर का है तो पैन आवेदन को प्रोसेस करने की फीस निम्लिखित है:

i. यदि आवेदक पैन कार्ड का चयन करता है तो ₹1011 (वस्तु एवं सेवा कर सहित) और;
ii. यदि आवेदक ई –पैन का चयन करता है तो ₹ 66 (वस्तु एवं सेवा कर सहित)। ई –पैन की प्राप्ति के लिए ई-मेल अनिवार्य है और इसमें पैन कार्ड नहीं जारी किया जाएगा।

(ढ) इस सुविधा का उपयोग पैन आवेदकों द्वारा भारत में जारी एक वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डी एस सी) द्वारा किया जा सकता है। केवल श्रेणी II या श्रेणी III डी एस सी स्वीकार किया जाएगा।

(ण) वैयक्तिक आवेदकों के मामले में, आवेदक के डी एस सी का उपयोग हस्ताक्षर करने के लिए किया जाना चाहिए।

(त) पैन आवेदकों को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और सहायक दस्तावेजों (अर्थात पहचान का प्रमाण / पता का प्रमाण/ जन्म तिथि का प्रमाण) को स्कैन कर निर्धारित निर्देशों के अनुसार अपलोड करना होगा।

(थ) क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(द) डी एस सी आधारित पैन आवेदन के लिए, आवेदक को एनएसडीएल ई-गोव को कोई दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं है। परंतु, एनएसडीएल ई-गोव द्वारा रिपोर्ट किए गए आवेदन में किसी भी विसंगति के लिए, आवेदक को नीचे दिए गए पते पर एनएसडीएल ई-गोव को अपने दस्तावेज / स्पष्टीकरण भेजना होगा। साथ ही, जिन मामलों में आयकर नियम, 1962 के नियम 114 (4) के अनुसार मूल दस्तावेज जमा किए जाने की आवश्यकता है, उन मूल प्रति को एनएसडीएल ई-गोव को नीचे दिए गए पते पर भेजना आवश्यक है।

(ध) अधिक जानकारी के लिए

- काल सेन्टर में 020-2721 8080 पर फोन करें ;
- फैक्स: 020-2721 8081
- हमें ई-मेल करें : tininfo@nsdl.co.in
- एसएमएस करें NSDLPAN<स्थान छोड़े>15 अंको वाली प्राप्ति सूचना नंबर टाइप करें और आवेदन की स्थिति जानने के लिए 57575 पर भेज दें.
- या हमें लिखे : **आयकर पैन सेवा इकाई, एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**, 5**वीं मंजिल**, **मंत्री स्टर्लिंग**, **प्लॉट नं**. 341, **सर्वे नं**. 997/8, **मॉडल कालोनी**, **दीप बंगला चौक के पास**, **पुणे – 411 016.**